संख्याः ✓ /X – 4–19/1(220)/2018

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, फारेस्ट कालोनी,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांकः 06 अगस्त, 2019

विषयः– जनपद–पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में पूर्व निर्मित लालढ़ांग–चिल्लरखाल के सिंगड्डीस्रोत से चिल्लरखाल मोटर मार्ग के ब्लैक टॉपिंग हेतु 0.99 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में दायर **I.A.NO. 90182 of 2019** में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29.07.2019 के अनुपालन के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद–पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में पूर्व निर्मित लालढ़ांग–चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग के सिंगड्डीस्रोत से चिल्लरखाल मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए ब्लैक टॉपिंग हेतु 0.99 हे0 वन भूमि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश सं0–F.No. 11-9/98-FC दिनांक 13.02.2014 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन निमित्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तातंरण उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/ 37834/2018 शासन को उपलब्ध कराया गया। शासन द्वारा भारत सरकार के उक्त दिशा निर्देश दिनांक 13.02. 2014 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश सं0–1343/X– 4–18/1(220)/2018 दिनांक 21.12.2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। सैद्धान्तिक स्वीकृति में आधिरोपित शर्तों का अनुपालन किए जाने पर नियमानुसार शासन के आदेश सं0–1365/X– 4–18/1(220)/2018 दिनांक 28.12.2018 के द्वारा प्रश्नगत वन भूमि हस्तातंरण की विधिवत स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके क्रम में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2– इस मध्य इण्डियन एक्सप्रेस नई दिल्ली के दिनांक 14.03.2019 के अंक में "For promised road, Uttarakhand wangles land from tiger reserve" शीर्षक से खबर प्रकाशित करते हुए यह आरोप लगाया गया कि लालढ़ाग–चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग में FC Act 1980, का उलघंन किया गया है तथा NTCA, Wildlife board आदि की सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। उक्त के साथ श्री रोहित चौधरी नई दिल्ली द्वारा CEC के समक्ष प्रश्नगत वन मार्ग के निर्माण पर रोक लगाने हेतु एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में CEC द्वारा NTCA /राज्य सरकार से वस्तुस्थिति उपलब्ध कराये जाने की आपेक्षा की गयी। NTCA द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट CEC को प्रस्तुत की गयी। राज्य सरकार द्वारा उच्चस्तर पर विचार–विमर्श के उपरान्त CEC तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत प्रकरण पर दिनांक 29.07.2019 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की गयी तथा निम्न आदेश पारित किया गया–

"The State of Uttarakhand is directed to withdraw the orders dated 07.12.2018 and 28.12.2018 forthwith and the orders shall not be acted upon. Similarly, it is also ordered that the State Government shall obtain the statutory approvals, required under Section 38 of the Wild Life (Protection) Act, 1972

क्रमशः...2

before undertaking road development activities within Rajaji Tiger Reserves. No road activity shall be undertaken without obtaining statutory approvals under Section 38 of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

It is open to the State of Uttarakhand to approach the Ministry of Environment and Forest in accordance with law. I.A. No 90182/2019 in W.P. (C) No. 202/1995 is, accordingly disposed of. Thus, no further orders are required in report Nos.16/2019 and 21/2019, which are also disposed of."

अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए लालढ़ांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग के सिगड्डीस्रोत से चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग के ब्लैक टॉपिंग हेतु 0.99 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वित किए जाने हेतु निर्गत किये गये सैद्धान्तिक स्वीकृति संबंधी शासनादेश सं0–1343 दिनांक 21.12.2018 एवं उक्त हेतु विधिवत स्वीकृति संबंधित शासनादेश सं0–1365 दिनांक 28.12.2018 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस संबंध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 777 /X – 4–19/1(220)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, मा0 वन मंत्री उत्तराखण्ड को मा0 वन मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड उत्तराखण्ड देहरादून।
7. सदस्य–सचिव, सेन्ट्रल इम्पवर्ड कमेटी, II फ्लोर चाणक्य भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
8. सदस्य–सचिव, नेशनल टाईगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, लोधी रोड़ नई दिल्ली।
9. प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) उत्तराखण्ड देहरादून।
10. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. जिलाधिकारी, पौड़ी।
12. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वार।
13. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा, पौड़ी।
14. जिला पंचायत अध्यक्ष, पौड़ी।
15. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तरखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।